



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1917

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 14837 वर्ष 2024

प्रमोद कुमार यादव और 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	जनार्दन यादव
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दाखिल किए गए प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख में लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. पाल को सुना।
3. प्रतिद्वंदी पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त अभिकथन दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर आरंभिक स्तर पर निर्णय लिया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 का संबंध 07.12.2000 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती होने और 01.02.2018 को सेवामुक्त होने से है; रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 का संबंध 08.03.2003 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती होने और 30.04.2019 को सेवामुक्त होने से है; रिट याचिकाकर्ता संख्या 3 का संबंध 02.06.2002 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती होने और 30.06.2019 को सेवामुक्त होने से है; रिट याचिकाकर्ता संख्या 4 का संबंध 30.04.2003 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती होने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और 31.03.2019 को सेवामुक्त होने से है; रिट याचिकाकर्ता संख्या 5 को 06.07.2002 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती किया गया था और 31.07.2019 को सेवामुक्त किया गया था, जबकि रिट याचिकाकर्ता संख्या 6 को 22.10.2001 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती किया गया था और 31.05.2018 को सेवामुक्त किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्होंने 19.10.2018 के विज्ञापन के अनुसार 27/28.01.2019 को आयोजित लिखित परीक्षा में भाग लिया और दस्तावेज़ सत्यापन के बाद, उन्हें 02.03.2020 को पुलिस कांस्टेबल के पद पर चयनित किया गया और उन्हें 29.06.2021 को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। हालांकि, रिट याचिकाकर्ताओं ने वेतन संरक्षण के लिए अपना दावा पेश किया है क्योंकि वे पहले ही सेना में शामिल हो चुके थे। चूंकि उन्हें लाभ स्वीकृत नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने रिट याचिका संख्या 11117 वर्ष 2022 (इमरान खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) दायर की, जिसका निस्तारण 02.08.2022 को हुआ और प्रतिवादियों को दावे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा स्थापित दावे को 20.07.2023 को पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा खारिज कर दिया गया।

5. उक्त आदेश को प्रश्नगत करते हुए रिट याचिका दायर की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि प्रतिवादियों द्वारा दावे को खारिज करने का आधार यह था कि रिट याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 23.12.2020 के शासनादेश जारी होने के बाद हुई थी, इसलिए वे वेतन संरक्षण के हकदार नहीं हैं। यह तर्क गलत और संदर्भ से परे है, विशेष रूप से तब जब उक्त वर्गीकरण को एक समन्वय पीठ द्वारा **रिट याचिका संख्या 10689 वर्ष 2024 (सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य)** संबंधित रिट याचिकाओं सहित, निर्णीत दिनांक 09.04.2025, में कानून के अनुसार नहीं होना अभिनिर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध एक अंतर-न्यायालय अपील, **विशेष अपील संख्या 1233 वर्ष 2025 (उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य बनाम विनय और 3 अन्य)** दायर की गई, जिसे संबंधित अपीलों सहित 15.12.2025 को खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कांस्टेबलों को प्रशिक्षण के लिए एक विशेष बैच में भेजना प्रतिवादियों का काम है, जो समय-समय पर बदल सकता है, जिसके लिए रिट याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।



7. दूसरी ओर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अब उक्त मुद्दा अनिर्णीत विषय नहीं है क्योंकि **सीता राम शर्मा और 13 अन्य (उपरोक्त)** में इस न्यायालय द्वारा इस पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है। जिसे एक विशेष अपीलीय पीठ ने **उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (उपरोक्त)** में पुष्टि की है। उन्होंने निवेदन किया है कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को संबंधित प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए ताकि वह निर्णय के आलोक में नया आदेश पारित कर सके।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

9. तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि रिट याचिकाकर्तागण पूर्व सैनिक होते हुए सैनिक थे, जो सेवामुक्त हो चुके थे, उन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उन्हें पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया, हालांकि उन्हें प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग बैचों में भेजा गया था। हालांकि, प्रतिवादियों द्वारा लिए गए उक्त रुख को एक समन्वय पीठ ने **सीता राम शर्मा और 13 अन्य (उपरोक्त)** में खारिज कर दिया है। जिसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता है:

"1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर उपरोक्त रिट याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाकर्ता, जिनका चयन 2018 में उत्तर प्रदेश सिविल पुलिस में कांस्टेबल जीडी के पद के लिए हुआ था, प्रतिवादियों द्वारा पूर्व-सैनिक कर्मियों के रूप में उनके द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के अनुसार वेतन संरक्षण प्रदान न करने के भेदभावपूर्ण रवैये से संक्षुब्ध हैं। सभी याचिकाकर्ताओं का चयन और नियुक्ति पूर्व-सैनिकों की श्रेणी में हुई है और उनका निवेदन है कि यदि एक ही चयन के परिणामस्वरूप, चयनित उम्मीदवारों को अलग-अलग समय पर चार बैचों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षुओं के पहले बैच को वेतन संरक्षण प्रदान करना और अन्य प्रशिक्षुओं को केवल इस आधार पर इससे वंचित करना उचित नहीं है कि शासनादेश में पूर्व-सैनिकों को बाद की तिथि से वेतन संरक्षण न देने का निर्णय लिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह निवेदन किया जाता है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना आवश्यक था, लेकिन कोविड-19 महामारी की तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने 25 जुलाई, 2020 के अपने आदेश द्वारा चयनित उम्मीदवारों को चार बैचों में विभाजित किया और उन्हें अलग-अलग तिथियों पर अलग-अलग अवधियों के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा। पहला बैच अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, दूसरा बैच मार्च 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया, तीसरा बैच अक्टूबर 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया और अंतिम और चौथा बैच मई 2022 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजा गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्हें दूसरे बैच के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, जो मार्च 2021 से शुरू होकर सितंबर 2021 तक छह महीने तक चला। पहले बैच के प्रशिक्षण पूरा होने के दौरान ही उनके संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया था, जो 23 दिसंबर 2020 के शासनादेश से पहले का है। इस शासनादेश में यह निर्णय लिया गया था कि चयनित पूर्व सैन्य कर्मियों को अब वेतन संरक्षण नहीं दिया जाएगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। शासनादेश के प्रस्तर 22 में निहित प्रासंगिक प्रस्तर को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" उपर्युक्त प्रस्तर-1 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की सेवा में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्योजन किये जाने की दशा में उनके वेतन निर्धारण के संबंध में राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(1) सेना से सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों का राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजन होने पर उन्हें उस पद के वेतनमान में ही वेतन ग्राह्य होगा जिस पद पर उनका पुनर्योजन हुआ है। सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद के वेतनमान का संरक्षण नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे पुनर्योजित सैन्य पेंशनर जिनकी पूरी पेंशन वेतन निर्धारण हेतु उपेक्षणीय (ignored) है, का वेतन पुनर्योजन के पद के वेतनमान के न्यूनतम पर निर्धारित किया जायेगा।



(3) ऐसे प्रकरण जिनमें वेतन निर्धारण हेतु पूरी पेंशन उपेक्षणीय (*ignored*) नहीं है, उनमें पुनर्योजन पर प्रारम्भिक वेतन सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त वेतन के प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा, परन्तु-

(1) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान में ऐसा प्रक्रम उपलब्ध नहीं है, तो उक्त प्रक्रम के ठीक नीचे वाले प्रक्रम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का अधिकतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित वेतन से कम है, तो पुनर्योजन के पद के वेतनमान के अधिकतम पर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(iii) यदि पुनर्योजन के पद के वेतनमान का न्यूनतम सेवानिवृत्ति के पूर्व आहरित अन्तिम वेतन से अधिक है, तो वेतन निर्धारण पुनर्योजन के पद के न्यूनतम पर किया जायेगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित होने वाले वेतन में से, सैन्य सेवा से प्राप्त पेंशन का वह भाग जो उपेक्षणीय (*ignored*) नहीं है, घटा दिया जायेगा।

(4) राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित सैन्य पेंशनर उपरोक्तानुसार निर्धारित वेतन के अतिरिक्त अपनी पूरी पेंशन अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ सहित आहरित करते रहेंगे।

4- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे अर्थात् शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा उसके उपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के प्रकरण इन आदेशों से आच्छादित होंगे। शासनादेश की तिथि के पूर्व राज्य सरकार की सेवा में पुनर्योजित हो चुके सैन्य पेंशनरों के प्रकरण पुनरुद्घटित (ओपेन) नहीं किये जायेंगे।"

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जनवरी 2021 में पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, उन्हें वेतन संरक्षण प्रदान किया गया था और उदाहरण के तौर पर, नव-चयनित कांस्टेबल कुलदीप सिंह (पीएनओ संख्या 202641386) का वेतन निर्धारण दिनांक 24 जनवरी 2024 को अभिलेख में प्रस्तुत किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि पहले बैच को लाभ दिए जाने के बाद, दूसरे, तीसरे और चौथे बैच में चयनित उम्मीदवारों, जो पूर्व-सैनिक थे, को यह लाभ नहीं दिया गया।

6. उपरोक्त दलीलें रिट याचिका के प्रस्तर 14 में उठाई गई हैं, जिसमें उन विभिन्न कांस्टेबलों का विवरण दिया गया है जिन्हें पूर्व-सैनिक होने के नाते अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ मिला था। प्रस्तर 14 के उत्तर में दिए गए प्रति-शपथपत्र में, प्रस्तर 16 के अनुसार, यह कहा गया है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“ रिट याचिका के प्रस्तर 14 में उल्लिखित तथ्य इस हद तक स्वीकार किए जाते हैं कि 11.10.2020 को पुलिस विभाग में कांस्टेबल कुलदीप सिंह (पीएनओ संख्या 202641386) की नियुक्ति के समय 26.8.1977 और 18.5.1983 के शासनादेश प्रभावी थे। वर्तमान में, राज्य सरकार की सेवा में पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के लिए 23.12.2020 का शासनादेश प्रभावी है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, अर्थात् राज्य सरकार की सेवा में शासनादेश जारी होने की तिथि को या उसके बाद नियुक्त किए गए पूर्व सैनिकों के मामले इस आदेश के अंतर्गत आएंगे।”

7. उपरोक्त उद्धृत प्रति-शपथपत्र के प्रस्तर 14 में दिए गए कथनों को सरसरी तौर पर पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि कुलदीप सिंह को प्रशिक्षण के लिए प्रथम बैच में भेजा गया था, लेकिन उन्हें 11.10.2020 को नियुक्ति की पेशकश की गई थी, जब 26.8.1977 और 18.5.1983 के शासनादेश लागू थे, और इसलिए उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। हालांकि, पूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति के संबंध में 23.12.2020 के शासनादेश के लागू होने के बाद, उन्हें उनके पूर्व पद के वेतन संरक्षण का हकदार नहीं माना गया, और इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ता को ऐसा कोई लाभ नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं को केवल इसलिए वेतन संरक्षण से वंचित किया गया है क्योंकि उनका प्रशिक्षण प्रथम बैच के प्रशिक्षण के बाद पूरा हुआ, जबकि याचिकाकर्ता भी प्रथम बैच की तरह प्रशिक्षु थे जो बाद में कांस्टेबल बने। इस प्रकार, सभी नियुक्तियों का चयन वर्ष 2018 में आयोजित चयन और भर्ती के अनुसार किया गया था और इसलिए वे वेतन समानता का दावा करते हैं।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने वेतन संरक्षण को अस्वीकार करने वाले शासनादेश के अंतर्गत लिए गए रुख का बचाव करते हुए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अनिल प्रसाद 2022 5 एससीसी 461 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक प्राधिकार पर भरोसा किया है, जिसमें पूर्व सैन्य कर्मियों को वेतन संरक्षण का लाभ देने को अस्वीकार करने वाले केंद्र सरकार के नियमों को बरकरार रखा गया था। इसलिए यह निवेदन किया गया है कि वेतन संरक्षण लाभ को अस्वीकार करने में सरकार की कार्रवाई में कोई खामी नहीं पाई जा सकती जिससे इसे अनुचित, भेदभावपूर्ण या मनमाना माना जा सके। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्णय के प्रस्तर 4.5 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“ 5.4 अतः, सरकारी सेवा में प्रतिवादी का वेतन निर्धारण सीसीएस आदेश 1986 के प्रस्तर 8 के पूर्णतः अनुरूप था। प्रस्तर 8 में यह प्रावधान नहीं है कि सरकारी सेवाओं में पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को उनके अंतिम वेतन के बराबर मूल वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। ऐसा मानना सीसीएस आदेश के प्रस्तर 8 का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने यह मानकर घोर त्रुटि की है कि सरकारी सेवा में पुनर्नियुक्ति पर सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मियों को सशस्त्र बल कर्मियों के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन प्राप्त करने का अधिकार होगा। अतः, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश सीसीएस आदेश, 1986 के प्रस्तर 8 के विपरीत होने के कारण अस्थिर है।

9. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद, मैं पाता हूँ कि इस याचिका में याचिकाकर्ताओं के साथ किए जा रहे भेदभाव को चुनौती दी गई है, न कि उस प्रासंगिक प्रावधान को, जो शासनादेश में पूर्व सैन्य कर्मियों को सरकारी गैर-रक्षा प्रतिष्ठानों में पुनर्नियोजन प्राप्त करते समय वेतन संरक्षण का लाभ देने को अस्वीकार करता है।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 0 एससी 764, के मामले में दिए गए निर्णय पर जोर दिया है और तर्क दिया है कि केवल काउंसलिंग न होने और उसमें देरी होने से समान चयन प्रक्रिया के अंतर्गत समान रूप से नियुक्त शिक्षकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता था। उन्होंने निर्णय के प्रस्तर 15 पर भरोसा जताया है, जो इस प्रकार है:

“ अपीलार्थी का मामला राकेश गौर (उपरोक्त) के मामले से अधिक मिलता-जुलता था, जिन्होंने 05.11.2009 को प्रवेश लिया था। इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए, हमारा स्पष्ट मत है कि खंड पीठ ने दिनेश चंद्र दामोर (उपरोक्त) के मामले को लागू करने में गलती की, जबकि उन्हें अंकुल सिंघल (उपरोक्त) और राकेश गौर (उपरोक्त) के निर्णयों में दिए गए तर्क को इस मामले के तथ्यों पर लागू करना चाहिए था। जैसा कि अंकुल सिंघल (उपरोक्त) में कहा गया था, शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए प्रवेश पाने वाले छात्रों के एक समरूप समूह के बीच भेदभाव करना अनुचित होगा। जैसा कि उसमें बताया गया था, यह नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश पाने वाले छात्र स्नातक में 50% से कम अंक होने पर भी पात्र हों, जबकि काउंसलिंग के बाद के दौर में प्रवेश पाने वाले अन्य छात्र पात्र न हों। इसी तर्क के आधार पर राकेश गौर (उपरोक्त) को अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राहत दी गई थी। राकेश गौर (उपरोक्त) का मामला अपीलार्थी के मामले के समान ही था। जो चटनी हंस के लिए है, वही बत्तख के लिए भी होनी चाहिए।"

11. अतः इस याचिका में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण प्रशिक्षण चार अलग-अलग बैचों में आयोजित किए जाने के कारण बाद में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं को उसी चयन के चयनित उम्मीदवारों को पहले प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने के दौरान दी गई वेतन सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। प्रतिवादियों की ओर से इस बात को अस्वीकार नहीं किया गया है कि प्रशिक्षण के लिए दूसरे बैच में भेजे गए सभी याचिकाकर्ताओं को उसी विज्ञापन के अंतर्गत उसी चयन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल (जीडी) के पद के लिए चयनित किया गया था। प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया का हिस्सा है और एक बार उम्मीदवार का चयन हो जाने के बाद, अंतिम रूप से प्रकाशित और घोषित चयन सूची में विचार किए जाने के परिणामस्वरूप प्रशिक्षण होता है। इस प्रकार, नियुक्ति प्रयोजनों के लिए प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले उम्मीदवार की चयन सूची तैयार हो जाने के बाद चयन का कोई और चरण शेष नहीं रहता है। इसलिए, चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, और अतः न्यायालय के विचार में, यदि प्रतिवादियों ने प्रशासनिक शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रशिक्षुओं को विभिन्न समूहों में विभाजित करके अलग-अलग तिथियों पर प्रशिक्षण के लिए भेजने का निर्णय लिया है और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर ऐसे प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी जा रही है, तो उनके साथ वेतनमान, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक जैसे सेवा लाभों के मामले में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वरिष्ठता के मामले में भी, केवल चयन सूची का ही पालन किया जाना चाहिए। मनीलाल (उपरोक्त) मामले में उद्धृत निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले को पूरी तरह से आच्छादित करता है। न्यायालय ने उसमें यह माना था कि समरूप समूह के बीच आपसी भेदभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, एक ही चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी उम्मीदवार एक समरूप समूह का निर्माण करेंगे और उनकी नियुक्ति केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का परिणाम है, बशर्ते कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें अस्वीकार कर दिया जाए। एक बार समरूप समूह को प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाए, तो सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले समूहों या समूहों के आधार पर किया गया कोई भी वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा, क्योंकि यह समान स्थिति वाले कर्मचारियों को लाभ देने के उद्देश्य से उचित वर्गीकरण नहीं होगा। समानता का एक स्थापित नियम यह है कि असमान को समान नहीं माना जा सकता और समान स्थिति वाले कर्मचारियों के साथ वेतन समानता और सेवा लाभों के मामले में समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

13. फिरंगी प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2011) 2 यूपीएलबीईसी 987 के मामले में, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नियुक्ति पत्र जारी करने में नियुक्ति प्राधिकारी की गलती के कारण याचिकाकर्ताओं को नुकसान में नहीं डाला जा सकता। यद्यपि यह मामला नियमितीकरण से संबंधित था, लेकिन प्रबंधन द्वारा नियुक्ति आदेश विलंबित रूप से और नियमितीकरण नियमों की निर्धारित तिथि के बाद भी जारी किए जाने के कारण, सभी को नियमितीकरण का लाभ देने के लिए समान माना गया। इस निर्णय का अनुसरण महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (रिट ए संख्या 55606 वर्ष 2008), दिनांक 19.12.2019 के मामले में भी किया गया है, जिसमें एक विज्ञापन के सभी आवेदकों को चयनित होने पर एक समरूप समूह माना गया और उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया, क्योंकि विज्ञापन और चयन पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करने से पहले हुए थे, भले ही नियुक्ति आदेश बाद में जारी किए गए हों।

14. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हालांकि मुझे पूर्व सैनिकों को वेतन सुरक्षा से वंचित करने के संबंध में शासनादेश में कोई भेदभावपूर्ण बात नहीं दिखती, लेकिन यह शासनादेश केवल उन्हीं मामलों पर लागू होगा जहां उम्मीदवारों का चयन इसके जारी होने के बाद हुआ हो। प्रशिक्षण के लिए भेजे गए और अंततः नियुक्ति पाने वाले सभी लोग एक समरूप समूह बनावेंगे और वेतन सुरक्षा सहित सभी लाभों के हकदार होंगे, और उनका दावा अभी तक शासनादेश से प्रभावित नहीं होगा।

15. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय के संबंध में, मुझे उसमें निर्धारित कानून के बारे में कोई असहमति नहीं है, क्योंकि मेरा भी यही मत है कि इस मामले की विशेष परिस्थितियों में शासनादेश को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है।



16. उपरोक्त के दृष्टिगत, रिट याचिका सफल होती है और स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करे, जैसा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया था। उचित आदेश पारित किया जाएगा और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम तीस दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को परिणामी लाभ प्रदान किया जाएगा।"

10. इसके अलावा, इस न्यायालय की खंड पीठ ने विशेष अपीलीय पीठ में **उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य (उपरोक्त)** में दिनांक 15.12.2025 को अपील खारिज कर दी है, जिसका आदेश नीचे उद्धृत किया गया है:

"1. सभी अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से श्री मनीष गोयल, विद्वान अपर महाधिवक्ता, श्री तेज भानु पांडे, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादियों की ओर से उनके संबंधित अपीलों में श्री आर.के. ओझा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सहायक श्री सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी, और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।"

2. ये सभी अपीलें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संबंधित रिट याचिकाओं में पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2025 के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिनका निर्णय रिट याचिका संख्या 10689 वर्ष 2024, सीता राम शर्मा और 13 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य के साथ किया गया था, जिसके द्वारा प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया था और अपीलार्थी संख्या 3 (यहाँ) को निर्देश दिया गया था कि वह याचिकाकर्ताओं को अंतिम वेतन संरक्षण का लाभ सौंप दे, क्योंकि यह लाभ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के पहले बैच को दिया गया था। उचित आदेश पारित किया जाएगा और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिकतम 30 दिनों का परिणामी लाभ दिया जाएगा।

3. अपीलार्थी उत्तर प्रदेश राज्य ने इन सभी अपीलों में एक ही मुद्दा उठाया है, इसलिए इन सभी की सुनवाई एक साथ की गई और इस सामान्य आदेश द्वारा इनका निर्णय किया जा रहा है। सभी अपीलों में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या एक ही चयनित सूची में शामिल उम्मीदवारों को उनकी नियुक्ति पत्रों की तिथि और प्रशिक्षण की तिथि के आधार पर अलग-अलग वर्ग का माना जा सकता है। प्रत्येक अपील में उम्मीदवारों से संबंधित तथ्यात्मक विवरण, जैसे कि उनकी पूर्व

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सेवा का विवरण, नियुक्ति पत्र की तिथि और प्रशिक्षण अवधि के लिए पत्र में उल्लिखित तिथि, भिन्न हो सकते हैं।

4. सुविधा के लिए, तथ्यात्मक विवरण विशेष अपील संख्या 1240 वर्ष 2025 से लिए जा रहे हैं, क्योंकि दिनांक 09.04.2025 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश में यही मुख्य याचिका थी। हालांकि, वर्तमान सामान्य आदेश का परिणाम सभी संबंधित मामलों पर लागू होगा। एकमात्र तथ्यात्मक अंतर संबंधित अपीलों में प्रतिवादियों/उम्मीदवारों की संख्या में है।

5. इन विशेष अपील मामलों के समेकित समूह के अभिलेखों की जाँच करने पर यह प्रतीत होता है कि यहाँ सभी प्रतिवादी भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सदस्य हैं, जो विभिन्न समयों पर विभिन्न रेजिमेंटों में भर्ती हुए थे। यह भी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रतिवादी को उनकी सेवा अवधि पूरी होने पर सेवामुक्त या सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उनकी व्यक्तिगत सेवा अवधियों में भिन्नता के बावजूद, इन सभी मामलों में एक समान तथ्य यह है कि सभी प्रतिवादियों ने अपनी सैन्य सेवा पूरी कर ली थी और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए चयनित हुए थे तथा उसी चयन सूची में अपना स्थान प्राप्त किया था, जो इन अपीलों के समूह का विषय है।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने बताया कि अक्टूबर 2018 की सीधी भर्ती के अंतर्गत तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं थी, क्योंकि प्रशिक्षण इस प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, राज्य के लिए चयनित उम्मीदवारों का प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से आयोजित करना आवश्यक हो गया था, और इसलिए, उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के संबंधित चरणों के अनुरूप अलग-अलग तिथियों पर नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे। उन्होंने आगे बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय ने अपने आदेश दिनांक 25.07.2020 के द्वारा चयनित उम्मीदवारों को चार बैचों में विभाजित किया, जिनका प्रशिक्षण अलग-अलग तिथियों और अलग-अलग अवधियों के लिए निर्धारित किया गया था। इसके बाद, पहले बैच ने अगस्त 2020 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। दूसरे बैच ने मार्च 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। तीसरे बैच ने अक्टूबर 2021 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शुरू किया, और चौथे बैच ने मई 2022 में छह महीने की अवधि के लिए प्रशिक्षण शुरू किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. अपर महाधिवक्ता के अनुसार, राज्य को अलग-अलग समय पर अलग-अलग बैचों में प्रशिक्षण के लिए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का पूरा अधिकार था, और अपीलार्थी राज्य द्वारा अन्य बैचों के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करना भी उचित था, जबकि उन्हें वही वेतन सुरक्षा प्रदान नहीं की गई जो पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए गए सदस्यों को दी गई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि चयन सूची को सभी उद्देश्यों के लिए एक समान वर्ग नहीं माना जा सकता है, और राज्य द्वारा बाद के तीन बैचों को पहले बैच से अलग दर्जा देना उचित है, क्योंकि पहले बैच ने अन्य बैचों की तुलना में पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर लिया था।

8. यह निर्विवाद है कि जनवरी 2021 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले पहले बैच को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था। विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा दिया गया मुख्य तर्क यह है कि एक ही सूची से चयनित विभिन्न बैचों के उम्मीदवारों के साथ किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुमेय दायरे में आता है, और इसलिए राज्य को अलग-अलग समय पर प्रशिक्षण शुरू करने वाले चार बैचों के लिए अलग-अलग वेतन संरचना निर्धारित करने का अधिकार है।

9. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अपर महाधिवक्ता ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल सेवा नियमावली, 2015 के नियम 19 पर भरोसा जताया है, जिसे सुगम संदर्भ के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“ नियम - 19. प्रशिक्षण.

(1) (ए) नियम 15 और 16 के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों पर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय नियमावली के प्रावधान लागू होंगे। यदि बुनियादी प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसका चयन/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(बी) बुनियादी प्रशिक्षण में असफल हुए कैडेटों की पुनः परीक्षा पूरक प्रशिक्षण के बाद विभाग प्रमुख द्वारा आयोजित की जाएगी। पूरक प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण परीक्षा में असफल हुए उम्मीदवारों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) नियम 17 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक होगा।

10. अपर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि कांस्टेबल पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से प्राप्त करना और उत्तीर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा उनका चयन रद्द किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि नियम प्राधिकारियों को पूरक प्रशिक्षण और पुनर्परीक्षा आयोजित करने और उसके बाद भी असफल होने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्त करने का अधिकार देता है। वहीं, पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों को भी निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना आवश्यक है, इसलिए प्रशिक्षण पूरा होने तक राज्य वेतन संरचना में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है।

11. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि राज्य की यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादियों का चयन 2018 में सिविल पुलिस और पीएसी में कांस्टेबल के पदों के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया था और मार्च 2020 में घोषित परिणाम में उन्हें विधिवत पूर्व सैनिक श्रेणी में रखा गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि शासनादेश दिनांक 23.12.2020, जिसमें यह प्रावधान है कि उक्त तिथि के बाद की गई सभी नियुक्तियों को वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने के कारण स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर तब जब सभी उम्मीदवारों को एक ही चयन सूची में रखा गया हो। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम चरण में नियुक्त उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया था, जिसे राज्य सरकार ने लगातार स्वीकार किया है।

12. अग्रतर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने मनीलाल बनाम राजस्थान राज्य, एआइआर 2024 एससी 4404 मामले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि एक समान चयन प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित सभी उम्मीदवार एक समरूप समूह का गठन करते हैं और इस समरूप समूह के बीच आपसी भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। उन्होंने महेश नारायण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट याचिका संख्या 55606 वर्ष 2008, दिनांक 19.12.2019 को इस उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा भी किया है। उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस तरह का अलग व्यवहार केवल कुछ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तर्कसंगत अंतर के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है, जो इन मामलों के तथ्यों में मौजूद नहीं है।

13. प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रशिक्षण के संबंध में विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क का उत्तर दिया, अर्थात् उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 के नियम 19 का। उनके अनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा है कि प्रशिक्षण चयनित उम्मीदवारों के लिए एक प्रक्रिया है और एक बार नियुक्ति के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने वाले उम्मीदवारों की चयनित सूची तैयार हो जाने के बाद चयन का कोई और चरण शेष नहीं रहता। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल नियमावली, 2015 के नियम 18 का भी आधार दिया, जिसे सुगम संदर्भ के लिए नीचे दिया गया है।

“ नियम - 18. नियुक्ति.

(1) नियम 15 और 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी खंड के अंतर्गत तैयार की गई सूची में उम्मीदवारों के नामों को उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा जिस क्रम में वे वहां स्थित हैं।

(जी) नियम 15 के अनुसार, नियुक्ति प्राधिकारी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और उन्हें निर्देश देगा कि वे नियुक्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर या नियुक्ति पत्र में इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट किसी तिथि तक सेवा/प्रशिक्षण के लिए उपस्थित हों। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका चयन/नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

बशर्ते कि इन नियमों के लागू होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, जो उस पद पर कार्यरत है, इन नियमों के अंतर्गत स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा।

(2) यदि नियम 17 के अंतर्गत किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयन में निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार या, जैसा भी मामला हो, उस कैडर में निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार व्यक्तियों के नाम उल्लिखित होंगे, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बशर्ते कि इन नियमों के लागू होने से पहले सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उस पद पर कार्यरत किसी भी व्यक्ति को इन नियमों के अंतर्गत स्थायी रूप से नियुक्त माना जाएगा और ऐसी स्थायी नियुक्ति इन नियमों के अंतर्गत की गई मानी जाएगी।“

14. उपरोक्त प्रावधान पर भरोसा करते हुए, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियम 18 के अंतर्गत, नियम 15 और 16 के अधीन चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने का प्रावधान है, और उसके बाद ही नियम 19 के अनुसार ऐसे उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होना आवश्यक है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि नियमों की योजना स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नियुक्ति पत्र प्रशिक्षण से पहले जारी किया जाता है, और इसलिए, प्रशिक्षण को चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही कहा है, क्योंकि प्रशिक्षण नियुक्ति के बाद आयोजित किया जाना है।

15. हमने अपीलार्थियों/राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं के साथ-साथ प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुन लिया है और एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों सहित अभिलेख का परीक्षण किया है। कुछ मूलभूत तथ्य विवादित नहीं हैं। सभी उम्मीदवारों का चयन, चाहे उन्हें बाद में प्रशिक्षण के लिए किसी भी बैच में भेजा गया हो, अक्टूबर 2018 में जारी एक ही भर्ती विज्ञापन के अनुसार किया गया था। चयन सूची एक समान थी, चयन प्रक्रिया एकरूप थी और नियुक्तियाँ एक ही भर्ती प्रक्रिया से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थीं।

16. अभिलेखों के सरल पठन से यह स्पष्ट होता है कि सभी नियुक्ति पत्र अक्टूबर 2018 की एक ही सीधी भर्ती के अंतर्गत की गई नियुक्तियों से संबंधित हैं, जो एक ही विज्ञापन और चयन प्रक्रिया से उत्पन्न हुई थीं। किसी भी पक्ष का यह दावा नहीं है कि विज्ञापन के आधार पर तैयार की गई चयन सूची में किसी प्रकार का वर्गीकरण या श्रेणी-वार भेद किया गया था। इसके अलावा, राज्य ने यह सिद्ध नहीं किया है कि प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को चार अलग-अलग चरणों में भेजना किसी तर्कसंगत वर्गीकरण पर आधारित था।

17. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हमारा यह सुविचारित मत है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण का आयोजन अपीलार्थी राज्य की बुनियादी ढांचागत सीमाओं और कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपात स्थितियों के कारण ही आवश्यक हो गया था, न कि चयनित उम्मीदवारों की सूची में



किसी स्पष्ट अंतर के कारण। अतः, बाद के बैचों में प्रशिक्षण के लिए रखे गए उम्मीदवारों को इससे वंचित करना घोर मनमाना है और यह घोर भेदभाव का दोष है।

18. विद्वान अपर महाधिवक्ता के तर्क का पूरा आधार यह है कि चरणबद्ध प्रशिक्षण ने ही चार अलग-अलग श्रेणियां बनाईं, जिससे राज्य को बाद के बैचों में शामिल प्रतिवादियों से वेतन सुरक्षा को रोकने के लिए अलग-अलग वेतन संरचनाएं निर्धारित करने में सक्षम बनाया गया।

19. हालांकि यह न्यायालय महामारी से संबंधित आपात स्थितियों और बुनियादी ढांचे की सीमाओं को स्वीकार करता है, लेकिन इस प्रकार की बाहरी और अस्थायी प्रशासनिक बाध्यताएं एक समरूप वर्ग के उम्मीदवारों के बीच भेदभाव को उचित नहीं ठहरा सकतीं। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुमत वर्गीकरण को नियंत्रित करने वाली कानूनी स्थिति इतनी सुस्थापित है कि उसे विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है, और स्थापित मापदंडों पर परखे जाने पर, अपीलार्थी राज्य द्वारा दिया गया औचित्य जांच में खरा नहीं उतरता।

20. पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) 1 एससीसी 1, मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि वर्गीकरण अस्पष्ट, अनिश्चित या भ्रामक नहीं होना चाहिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, वर्गीकरण एक सुबोध अंतर पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 14 का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को मनमानी भेदभाव से बचाना है, चाहे वह किसी कानून के स्पष्ट प्रावधानों के कारण हो या कानून के अनुचित प्रयोग के कारण। कोई भी वर्गीकरण एक सुबोध अंतर पर आधारित होना चाहिए जिसका उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो; अन्यथा, ऐसा वर्गीकरण अनुचित भेदभाव का कारण बनता है।

21. डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1990) 2 एससीसी 715, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि एक ही भर्ती अधिसूचना और चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को सेवा लाभों के लिए एक ही वर्ग में रखा जाता है। वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि एक बार किसी पद पर नियमानुसार नियुक्ति हो जाने के बाद, उसकी वरिष्ठता नियुक्ति की तिथि से गिनी जानी चाहिए, न कि स्थायीकरण की तिथि से। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, प्रशिक्षण



पूर्ण होने को एक ही चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों के बीच उप-वर्ग बनाने के लिए विचारणीय बिंदु नहीं माना जा सकता।

22. अपीलार्थियों ने किसी ऐसे वैधानिक नियम का उल्लेख नहीं दिया है जो राज्य को वेतन निर्धारण या वेतन संरक्षण के उद्देश्य से चयनित सूची में उप-श्रेणियाँ बनाने का अधिकार देता हो। वास्तव में, राज्य का स्वयं का कहना है कि प्रशिक्षण के लिए चरणबद्ध प्रेषण केवल प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ही किया गया था। प्रशासनिक अनिवार्यता, भले ही वास्तविक हो, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत संवैधानिक रूप से अनुमत अंतर का दर्जा नहीं दे सकती। ऐसा करने की अनुमति देने से राज्य को मनमानी या आकस्मिक परिस्थितियों के आधार पर समान अधिकारों को खंडित करने की शक्ति मिल जाएगी, एक ऐसी प्रथा जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार अस्वीकार किया है।

23. अतः, विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निर्णय सही था कि प्रतिवादियों और अन्य समान परिस्थितियों वाले उम्मीदवारों, जिनका चयन अक्टूबर 2018 की उसी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था, को वेतन सुरक्षा और सेवा लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता, जो प्रशिक्षण के लिए भेजे गए उम्मीदवारों के पहले बैच को दिए गए थे। संवैधानिक मानकों के स्वतंत्र अनुप्रयोग पर, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

24. उपरोक्त कारणों से, हमारा यह मत है कि अपीलार्थी राज्य द्वारा एक ही चयन सूची में रखे गए उम्मीदवारों के बीच केवल प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने की तिथियों के आधार पर किया गया भेदभाव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए एक अस्वीकार्य वर्गीकरण है।

25. वेतन सुरक्षा और उससे संबंधित वेतन संरचना का लाभ, जो राज्य द्वारा पहले बैच के उम्मीदवारों को प्रदान किया गया है, उसे दूसरे, तीसरे और चौथे बैच के उम्मीदवारों से नहीं रोका जा सकता है, जो उसी भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा थे और उसी चयन सूची में शामिल थे।

26. अतः, हमें विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता। विशेष अपीलों का यह समूह अस्वीकृत कर दिया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रतिवादियों और अन्य सभी समान रूप से संबंधित उम्मीदवारों को वेतन संरक्षण और परिणामी लाभ प्रदान करने का निर्देश बरकरार रखा जाता है। राज्य इस आदेश की तिथि से बारह सप्ताह के भीतर अनुपालन सुनिश्चित करेगा। वाद्व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



27. यदि कोई आवेदन लंबित हैं, तो उन्हें निपटा दिया गया है।“

11. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, उनके मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार, उपर्युक्त मध्यागत तथ्यों के आलोक में मामले पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

12. तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

(ए). पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 20.07.2023, को रद्द किया जाता है।

(बी). मामले को वापस भेज दिया जाता है ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित किया जा सके।

13. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

6 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)